

अनुदान संख्या 42 - राजस्व विभाग
GRANT No. 42-DEPARTMENT OF REVENUE

| | | कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|---|------------------------------------|---|--|-----------------|
| (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) | | | | |
| राजस्व: | Revenue: | | | |
| प्रभारित- | Charged- | 2,00 | . . | -2,00 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | 2,00 |
| स्वीकृत- | Voted- | | | |
| मूल | Original | 5374,19,00 | 2778,78,05 | -2595,41,95 |
| पूरक | Supplementary | 1,00 | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | 2590,27,00 |
| पूंजीगत: | Capital: | | | |
| स्वीकृत- | Voted- | 5,05,00 | 80,83 | -4,24,17 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | 3,93,00 |

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, 2.00 लाख रु. का विनियोग मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - सामान्य सेवाएं" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

1. In the charged portion of the revenue section of the grant, appropriation of Rs.2.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2052" - "Secretariat-General Services" and was eventually surrendered.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| मुख्य शीर्ष "2052" | Major Head "2052" | | | |
| सचिवालय - सामान्य सेवाएं | Secretariat - General Services | | | |
| मू. | O. | 7179.00 | 6394.18 | 6230.95 |
| पु. | R. | -784.82 | | |
| | | | | -163.23 |

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|---|--|--|--|-----------------|
| | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) | | |
| शीर्ष | Head | | | |
| मुख्य शीर्ष "2045" वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | Major Head "2045" Other Taxes and Duties on Commodities and Services | | | |
| मू. | O. | 345.00 | | |
| पु. | R. | -244.68 | 100.32 | 83.67 |
| | | | | -16.65 |
| मुख्य शीर्ष "2047" अन्य राजकोषीय सेवाएं | Major Head "2047" Other Fiscal Services | | | |
| मू. | O. | 3231.00 | | |
| पु. | R. | -239.30 | 2991.70 | 2860.48 |
| | | | | -131.22 |
| मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं | Major Head "2070" Other Administrative Services | | | |
| मू. | O. | 2043.00 | | |
| पु. | R. | 66.11 | 2109.11 | 2026.31 |
| | | | | -82.80 |
| मुख्य शीर्ष "2875" अन्य उद्योग | Major Head "2875" Other Industries | | | |
| मू. | O. | 24585.00 | | |
| पु. | R. | -4940.31 | 19644.69 | 19528.79 |
| | | | | -115.90 |
| मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments | | | |
| मू. | O. | 500000.00 | | |
| पु. | R. | -252873.00 | 247127.00 | 247127.00 |
| | | | | . . |

(I) अगस्त, 2005 में प्राप्त किया गया 1.00 लाख रु.का पूरक प्रावधान मुख्य शीर्ष "3602" - संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Supplementary provision of Rs.1.00 lakh obtained in August, 2005 remained wholly unutilised in one case under Major Head "3602" - "Grants-in-aid to Union Territory Governments".

(II) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - राजस्व विभाग" के अंतर्गत 946.55 लाख रु. की बचत (7169.70 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर राज्यों में कंप्यूटरीकरण पर कम व्यय होने और मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू किए जाने तथा कर सूचना विनिमय प्रणाली स्थापित किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2045" - "संग्रहण प्रभार - अन्य कर और शुल्क - अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर" के अंतर्गत 234.92 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रत्याशा से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2047" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "विदेशी मुद्रा का विनियमन - प्रवर्तन निदेशालय" - 113.63 लाख रु. की बचत (1899.58 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(खा) "सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण - अपीलीय अधिकरण" - 235.61 लाख रु. की बचत (1020.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और मुंबई पीठ के न्यायिक मामलों का निपटान न किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2070" - "स्वापक नियंत्रण - केंद्रीय स्वापक ब्यूरो" के अंतर्गत 116.41 लाख रु. की बचत (1878.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफीम की खेती का क्षेत्र कम हो जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "2875" - "अफीम और एल्केलायड उद्योग" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) "गाजीपुर अफीम कारखाना - अफीम की खरीद" - 1698.16 लाख रु. की बचत (5300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) "नीमच अफीम कारखाना" -

(क) "अफीम की खरीद" - 1410.43 लाख रु की बचत (7200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(II) Under Major Head "2052"- "Secretariat - Department of Revenue"- saving of Rs.946.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7169.70 lakhs) was due to less expenditure incurred on computerisation in North Eastern States and implementation of VAT and setting up of Tax Information Exchange System.

(III) Under Major Head "2045"- "Collection charges-Other Taxes and Duties -Inland Air Travel Tax"- saving of Rs.234.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 300.00 lakhs) was due to receipt of less claims than anticipated.

(IV) Under Major Head "2047"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Regulation of Foreign Exchange-Enforcement Directorate"-saving of Rs.113.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1899.58 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and austriety measures.

(B) "Customs, Central Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal- Appellate Tribunal"-saving of Rs. 235.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1020.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of court cases of Mumbai bench.

(V) Under Major Head "2070"- "Narcotics Control-Central Bureau of Narcotics"-saving of Rs.116.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1878.00 lakhs) was due to reduction in the area of opium cultivation.

(VI) Under Major Head "2875" - "Opium and Alkaloid Industries" -savings occurred under the following heads:-

(A) "Ghazipur Opium Factory - Purchase of Opium"- saving of Rs.1698.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5300.00 lakhs); and

(B) "Neemuch Opium Factory"-

(a) "Purchase of Opium"- saving of Rs.1410.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7200.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पोस्त उत्पादकों द्वारा अफीम की कम मात्रा उपलब्ध कराए जाने के कारण हुई।

(ख) “अन्य व्यय” - 168.67 लाख रु. की बचत (1242.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) औसत पूंजी पर ब्याज कम लगाए जाने के कारण हुई।

(गा) “गाजीपुर एल्केलायड वर्क्स” -

(क) “प्रबंधन” - 598.64 लाख रु. की बचत (2134.16 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोडीन फास्फेट के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट आने, आयात कम मात्रा में होने और अमरीकी डालर की तुलना में रुपए में वृद्धि होने के कारण हुई।

(ख) “अन्य व्यय” - 1242.64 लाख रु. की बचत (2209.79 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अच्छी अफीम प्रभारित किए जाने के लिए बनाए गए प्रावधानों की तुलना में अफीम/धोई अफीम संचित एसआर/कच्ची औषध की कम मात्रा प्रभारित किए जाने के कारण हुई।

(घा) “नीमच एल्केलायड वर्क्स - प्रबंधन” - 114.62 लाख रु. की बचत (2316.03 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोडीन फास्फेट का आयात प्रत्याशित दर से काफी कम दर पर किए जाने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष “3601” - “योजनेतर अनुदान - संसाधनों के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए अनुदान - मूल्यवर्धित कर प्रणाली लागू किए जाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य को प्रतिपूर्ति” के अंतर्गत 252873.00 लाख रु. की बचत (500000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मूल्यवर्धित कर प्रणाली लागू किए जाने की वजह से राजस्व की हानि होने पर राज्यों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई:-

(I) मुख्य शीर्ष “2070” - “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - औषध दुरुपयोग नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि” - 106.22 लाख रु. का अधिक व्यय (29.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) औषध दुरुपयोग नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि को भारत के वार्षिक अंशदान में वृद्धि होने के कारण हुआ।

Savings under the above two heads were due to less volumes of opium tendered by poppy cultivators.

(b) “Other Expenditure”- saving of Rs.168.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1242.00 lakhs) was due to lower incidence of interest on Mean Capital.

(C) “Ghaziipur Alkaloid Works”-

(a) “Management” - saving of Rs.598.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2134.16 lakhs) was due to fall in the international price of Codeine Phosphate, lower volume of import and appreciation in rupees value against US \$.

(b) “Other Expenditure” - saving of Rs.1242.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2209.79 lakhs) was due to charging of lesser quantity of Opium/Dhoi opium accumulated SR/ crude drugs as against the provisions made for charging of good opium.

(D) “Neemuch Alkaloid Works - Management”- saving of Rs.114.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2316.03 lakhs) was due to import of Codeine Phosphate at much lower rate than anticipated.

(VII) Under Major Head “3601”-“Non-Plan Grants-Grants to cover up Gap in Resources - Compensation to State for Revenue loss due to introduction of VAT”- saving of Rs.252873.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from states on accounts of loss of revenue due to introduction of VAT.

3. The above saving were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head “2070”-“International Co-operation - United Nations Fund for Drug Abuse Control” - excess of Rs.106.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.29.00 lakhs) was due to increase in India’s annual contribution to United Nations Fund for Drug Abuse Control.

(II) मुख्य शीर्ष "2875" - "अफीम और एल्केलायड उद्योग - गाजीपुर अफीम कारखाना - अन्य व्यय" - 111.96 लाख रु. का अधिक व्यय (337.20 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजी पर अधिक ब्याज लगाए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(II) Major Head "2875"- "Opium and Alkaloid Industries - Ghazipur Opium Factory - Other Expenditure" - excess of Rs.111.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.337.20 lakhs) was due to higher interest incidence on Capital.

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

| कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|------------------------------|--|-----------------|
|------------------------------|--|-----------------|

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

| शीर्ष मुख्य शीर्ष "4875" अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | Head Major Head "4875" Capital Outlay on Other Industries | | | | | |
|--|--|---------|--|--------|-------|--------|
| मू. | O. | 405.00 | | 109.00 | 79.88 | -29.12 |
| पु. | R. | -296.00 | | | | |

(I) "अफीम और एल्केलायड उद्योग - गाजीपुर अफीम कारखाना - भवन" - 169.47 लाख रु. की बचत (170.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने की वजह से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बैरकों का निर्माण न होने के कारण हुई।

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत 165.70 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 68 प्रतिशत और 99 प्रतिशत थी।

(I) "Opium and Alkaloid Industries - Ghazipur Opium Factory - Buildings"- saving of Rs.169.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.170.50 lakhs) was due to non-construction of Central Industrial Security Force Barracks owing to non-receipt of financial sanction.

(II) Under two heads saving of Rs. 165.70 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 68 percent and 99 percent of the sanctioned provision.

6. मूल्यहास आरक्षित निधि - अफीम तथा एल्केलायड फैक्टरियां:-

ये निधियां 1970-71 में एल्केलायड फैक्टरियों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास लगाने की वाणिज्यिक पद्धति को प्रवर्तित करने के लिए गठित की गई थीं। वर्ष के दौरान प्रत्येक फैक्टरी की परिसंपत्तियों के मूल्य पर परिकलित किया गया मूल्यहास इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिपक्षी नामे द्वारा क्रेडिट किया जाता है। निधि के शेषों पर समय-समय पर लगाया गया ब्याज भी इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिपक्षी नामे द्वारा क्रेडिट किया जाता है।

5. Depreciation of Reserve Fund - Opium and Alkaloid Factories:-

These funds were constituted in 1970-71 for introducing the commercial practice of charging depreciation on fixed assets of the Alkaloid Factories. Depreciation calculated on the value of assets used in each factory during the year is credited to these funds by per contra debit to this grant. Interest on the fund balances from time to time is also credited to these funds by per contra debit to this grant.

वर्ष 2005-06 के लिए मूल्यहास आरक्षित निधियों
का लेखा निम्न प्रकार से था:-

*Accounts of Depreciation Reserve Fund
for 2005-2006 were as under:-*

| | गाजीपुर/Ghazipur | | नीमच/Neemuch | |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| | अफीम फैक्टरी Opium Factory | एल्केलायड कारखाना Alkaloid Works | अफीम फैक्टरी Opium Factory | एल्केलायड कारखाना Alkaloid Works |
| | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) | | | |
| अथशेष/Opening Balance | 3,70,32 | 2,91,43 | 2,31,08 | 8,47,19 |
| प्राप्तियां/Receipts | 16,50 | 30,00 | 13,00 | 50,00 |
| जमा किया गया ब्याज/Interest Credited | 2,00,00 | 1,50,00 | 12,62 | 40,90 |
| अदायगियां/Payments | .. | .. | .. | .. |
| अंतशेष/Closing Balance | 5,86,82 | 4,71,43 | 2,56,70 | 9,38,09 |